प्राक्कथन

''भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां'' यह प्रकाशन बैंकों के कई मुख्य मानदण्डों पर कणीय (granular) आंकडे प्रस्तुत करता है। मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां 1 और 2 (मू.सां.वि. 1 और 2) द्वारा, बैंकों की शाखाओं से जानकारी संगृहीत की गई है। मू.सां.वि. 1 में, रु. 2 लाख से अधिक ऋण सीमा वाले ऋण खातों के हर खातेवार आंकड़े तथा व्यवसाय के अनुसार रु. 2 लाख तक के ऋण सीमावाले ऋण खातों के समेकित आंकड़े शाखावार संगृहीत किये जाते हैं। मू.सा.वि. 2 में, स्टाफ जमाराशियों के प्रकार, मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता के स्वरूप आदि के अनुसार शाखावार आंकड़े संगृहीत किये जाते हैं। मू.सा.वि. 1 और 2 के यह आंकड़े वर्ष 1972 से संगृहित किये जा रहे हैं।

इस खंड में, जो कि इस श्रृंखला में सैंतिसवां है, 31 मार्च 2008 की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां और ऋण से संबंधित ब्योरेवार आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं। इस खंड में लगभग 78 हजार शाखांओं के दस करोड़ से अधिक ऋण खातों तथा 57 करोड़ जमाराशियों के खातों के आंकड़ों का समावेश किया गया है जो की 36 हजार से अधिक केन्द्रो पर फैले हुए है। यह प्रकाशन, अलग अलग परिमाण, जैसे खातोंका प्रकार, संगठन, ब्याज दर की सीमा तथा ऋण-सीमा आकार पर व्यवसाय के अनुसार ब्योरेवार ऋण के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इस प्रकाशन में जनसंख्या समूह, बैंक समूह, राज्य और जिला पर आधारित तथा व्यवसाय के अनुसार सारणियां भी प्रस्तुत की गई हैं। इस खंड की एक विशेषता यह है कि इसमें ऋण की मंजूरी और ऋण का उपयोग दोनों के स्थानिक विवरण का समावेश है। यह प्रकाशन सी डी रोम (CD-Rom) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाईट (Web) पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकाशन से संबंधित बृहद कार्य भा.रि.बै.के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग के जिम्मे दिया गया है। इस प्रकाशन को प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरु करनेवाले मुख्य दल का नेतृत्व श्री. जी. के. कारवेकर, निदेशक ने किया है। इस मुख्य दल में श्री. एस. गंगाधरन सहायक परामर्शदाता, श्री. नितीन कुमार, श्री. के. एम. खुशवां, और श्री. एस. सरकार अनुसंधान अधिकारी तथा श्री. एस. ए. ऐवले और श्रीमती एस. एस. सुर्वे सहायक प्रबंधक सम्मिलित हैं।

इस मुख्य दल में श्रीमती एस. एस. कुलकर्णी विशेष सहायक, और श्रीमती बी. तांबट तथा श्रीमती ए. तिलक वरिष्ठ सहायकों का कुशलता पूर्वक सहयोग मिला है। इस प्रभाग के अन्य सदस्यों का सहयोग स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. अमल कान्ति राय, प्रधान परामर्शदाता और डॉ. बलवन्त सिंह परामर्शदाता, इन्होंने सूचना के गुणवत्ता पर जोर देते हुए, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। मैं विश्वास करता हूँ की यह खंड, पूर्व की तरह भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सूचना का एक महत्वपूर्ण श्रोत बनेगा।

दीपक मोहंती
कार्यपालक निदेशक

भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 1 और 2 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां

प्रस्तावना

1. इस खंड में, जो कि इस (श्रृंखला) में सैंतिसवां है, 31 मार्च 2008 की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण से संबंधित व्यापक आंकडे तथा बैंको के कर्मचारीयों की संख्या से संबंधित जानकारी प्रस्तुत है। ये आंकडे भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां (बीएसआर)-1 और 2, वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत किये गये हैं। प्रकाशन के पूर्ववर्ती शीर्षक, अर्थात् 'बैंकिंग सांख्यिकी' को मार्च 2000, खंड 29 से परिवर्तित करके 'भारत में अनुसूचित सूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां' कर दिया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यह रहा है कि इस खंड में प्रकाशित आंकड़ो के स्त्रोत तथा प्रकृति को उजागर किया जाए तथा बैंक के एक दूसरे प्रकाशन, अर्थात् 'भारत में बैंको से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां', जो कि विभिन्न सांविधिक विवरणियों तथा अन्य सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से संगृहीत आंकड़ों पर आधारित हैं, उसके मूल अंतर को स्पष्ट किया जाय। बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में बैंक के अन्य प्रकाशनों के बारे में सूचना **परिशिष्ट** में दी गयी है।

2. बैंकिंग क्षेत्र की नीति में हुए परिवर्तनों और अन्य गतिविधियों के अनुसार तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी.) 2004 के अनुरूप समान कोडिंग प्रणाली स्वीकार करने हेतु मू.सा.वि. 1 की विवरणी में मार्च 2008 के सर्वेक्षण से संशोधन किया गया है। जिसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

क. किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड तथा अन्य क्रेडिट कार्ड, खाते के प्रकार में मौजूदा व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड के साथ शामिल किये गये हैं।

ख. उधारकर्ता के संगठन कूट संख्या में परिवर्तन किया गया है। सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत, वित्तिय और गैरवित्तिय संगठनो की परिभाषा की गई है। स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एम.एफ.आइ.) के लिये अलग कूट संख्या सम्मिलित की गयी है।

ग. व्यवसाय / कार्यकलाप कूट प्रणाली पुन:संगठित की गई है। व्यक्तिगत ऋण दो अलग समूहों में विभाजित किये गये हैं, स्टाफ ऋण और स्टाफ-सदस्यों को छोडकर। मरम्मत और अनुरक्षण सेवाएं अलग प्रभागों में समूहित की गई है।

घ कृषी को दिये गये अप्रत्यक्ष वित्त, आर.पी.सी.डी. के नविनतम परिपत्र संख्या आर.पी.सी.डि. प्लान बीसी. 84/04.09.01/2006-07 दिनांक 30.4.2007 और आर.पी.सी.डी. प्लान बीसी. 42/04.09.01/2007-08 दिनांक 12.12.2007 के अंतर्गत, पुर्नगठित किये गये हैं। आवास के अप्रत्यक्ष वित्त तथा लघु उद्यम क्षेत्र के आंकड़े (कॅपच्युअर) करने के लिए नये कूट संख्या प्रस्तुत किये गये हैं।

ङ. कृषी और इससे जुडे कार्यकलाप तथा अन्य प्रयोजनों के (ऑन-लेंडिंग) ऋणों के लिए क्षेत्रिय ग्रामीण बँकों के ऋणों को अलग अलग समूहित किया गया है।

च. कृषि व इससे जुड़े कार्यकलापों, लघु व सूक्ष्म उद्यमों, आवास क्षेत्र, शैक्षिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजनों को आगे दिए जाने वाले (ऑन-लेंडिग) ऋणों के आधारपर गैर-बैंकिंग वित्तिय कंपनियों के ऋणों का वर्गीकरण किया गया है।

छ. 'ऋण खातों का स्वरुप' के जगह पर उधार लेनेवाली इकाई के आकार पर आधारित 'उधारकर्ता की श्रेणी' प्रस्तुत की गई है।

ज. जमानती, गैर जमानती ऋणों के आंकड़े पकड़ने के लिये एक नया मानदंड 'प्रतिभूती गिरवी रखना /ऋणों के लिए गारंटी कि स्थिति' प्रस्तुत किया गया है।

झ. 'ऋणों के स्थिर / अस्थिर ब्याज दर' के आंकडों के संग्रह के लिए एक फ्लैग प्रस्तुत किया गया है।

मू.सां.वि.-1 भाग ख विवरणी भी संशोधित की गई है। मू.सां.वि.-1क के कार्यकलाप / व्यवसाय के कोडिंग प्रणाली में हुए परिवर्तन के कारण, मू.सां.वि.-1 भाग ख. के 2 अंकी कूट के जगह 3 अंकी कूट प्रस्तुत किये हैं जिनमें कुछ नये कूट शामिल किए हैं। तथापि सभी संशोधित कूटों के आंकड़े इस प्रकाशन में शामिल नहीं किये गये हैं।

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इस खण्ड के कई सारणियों में प्रस्तुत किये गये आंकड़े पिछले वर्ष के सारणियों के आंकड़ों से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं।

3. मू.सां.वि. - 1 कुल बैंक ऋण से संबंधित है और उसमें मीयादी ऋण, नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल, नयी बिल बाजार योजना के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल एवं बैंकों से देय राशियां शामिल है जब कि, भारत में रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों पर आधारित बैंक ऋण के आंकड़ों में बैंकों से देय राशियां तथा नयी बिल मार्केट योजना के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं। मू.सां.वि.-1 विवरणी दो भागों में विभाजित की गयी है-भाग क और भाग ख। 1998 तक, मूं.सां.वि. 1 क में रु.25,000 से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा होने वाले उधार खातों का समावेश था। लेकिन मार्च 1999 से ऋण सीमा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मू.सां.वि. 1क में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, रु.2 लाख से ज्यादा ऋण सीमा होने वाले व्यक्तिगत खातों का समावेश है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण सीमा पहले वर्ष जैसे रु.25000 तक ही रखी गयी है। मू.सां.वि. 1क में उधार खातों से संबंधित जानकारी, जैसे ऋण के उपयोग का स्थान (जिला और जनसंख्या समूह), खाते का प्रकार, संगठन का प्रकार, व्यावसायिक श्रेणी, उधारकर्ता के कूट की श्रेणी, जमानती /गैर-जमानती, ऋण कूट, स्थिर / अस्थिर ब्याज दर का फ्लैग, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि इन विभिन्न विशेषताओं के साथ संकलित की जाती है। मू.सां.वि. - 1 ख में रु.2 लाख तक (रु.25,000/ - तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए) की एकल ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में जानकारी व्यापक व्यावसायिक श्रेणियों के लिये समेकित रूप में प्राप्त की जाती है। मू.सां.वि.-1ख विवरणी में ऋण सीमा के आकार पर आधारित दो अलग वर्ग हैं जो कि एक रु. 25000/- तक और दूसरा रु. 25000/ - से अधिक रु. 2 लाख तक। लघु उधार खातों संबंधित जानकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) मू.सां.वि.-1ख विवरणियों से प्राप्त की गयी है।

4. मू.सां.वि.-2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमाराशियों की जानकारी चालू, बचत एवं मीयादी जमाराशियों में विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं। महिलाओं के जमा खातों संबंधी जानकारी अलग से दी गयी है। इस विवरणी में विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अनुसार मीयादी जमाराशियों के वितरण के भी आंकड़े मंगवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मू.सां.वि.-2 में, सर्वेक्षण की संदर्भ तारीख को अलग-अलग बैंक कार्यालयों के लिंग और श्रेणी (अर्थात अधिकारी, लिपिकीय और सहायक) के अनुसार स्टाफ संख्या संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। जमाराशियों में अंतर बैंक जमाराशियां शामिल नहीं हैं। चालू जमाराशियों में निम्नलिखित शामिल है : (i) मांग पर या 14 दिनों से कम की सूचना पर आहरित की जाने वाली जमाराशियां (बचत जमाराशियों को छोड़कर) या 7 दिनों से कम तक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियां, (ii) 14 दिनों के पश्चात् आहरित की जा सकने वाली मांग जमाराशियां (iii) अदावी जमाराशियां, (iv) अतिदेय सावधि

जमाराशियां, (v) नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट खातों में ऋण शेष और, (vi) यदि जमाराशियों के स्वरूप में हो तो असमायोजित आकस्मिकता खाते। बचत जमाराशियां वे हैं जो बैंकों द्वारा उनकी बचत बैंक जमाराशि नियमावली के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। कम से कम 7 दिनों तथा उसके ऊपर की नियत परिपक्वता अथवा कम से कम 14 दिनों की नोटिस की शर्त वाली जमाराशियां, मीयादी जमाराशियां हैं। इनमें (i) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशियां (ii) नकदी प्रमाणपत्र (iii) संचयी और आवर्ती जमाराशियां (iv) कुरी और चिट जमाराशियां और (v) मीयादी जमाराशियों के रूप में विशेष जमाराशियां भी शामिल हैं। सिद्धांत रूप से मू.सां.वि. - 2 में दर्शायी गयी जमाराशियां और धारा 42(2) में दी गयी कुल जमाराशियां एक समान ही है। इन आंकड़ो के आधार पर इस खंड में ब्याज दर श्रेणी के अनुसार मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण दर्शाने वाली सारणी प्रस्तुत की गयी है। मियादी जमाराशियों के उर्वरित परिवक्वता के आंकड़े, जो मार्च 2003 में समाविष्ट किए गये, इस विवरणी के भाग-V द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंको के संगणकीकृत शाखाओं से संकलित किए गये हैं और उसका प्रतिशत वितरण इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

5. मार्च 2008 के अंतिम दिन को कार्यरत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 77,699 कार्यालयों में से 69,607 कार्यालयों से.मू.सां.वि. - 1 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। 71,856 कार्यालयों से.मू.सां.वि. - 2 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। सूचना न देनेवाले कार्यालयों के मामले में, आंकड़े सर्वेक्षण के पिछले दौर के आधार पर तथा तिमाही विवरणी में उपलब्ध, 31 मार्च 2008 की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण (मू.सां.वि. - 7) संबंधी जानकारी के आधार पर अनुमानित किये गये हैं।

खंड की रूपरेखा

6. इस खण्ड में पांच भिन्न अनुभाग हैं जो कि विभिन्न श्रेणी संबंधी उनके विशेष वर्गीकरण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण एवं जमाराशियों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इस खण्ड के अनुभाग 1 में अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर वाणिज्य बैंकिंग एवं जमाराशियां और साथ ही ऋण संबंधी सारांश आंकड़ो के संबंध में सामान्य जानकारी प्रस्तुत है। अनुभाग 2 में जनसंख्या समूह और बैंक समूह के अनुसार वर्गीकृत जमाराशियां और बकाया ऋण का राज्यवार वितरण दिया गया है। अनुभाग 3 में जमाराशियों के प्रकार के अनुसार जमाराशियों के वितरण पर आंकड़े प्रस्तुत हैं। अनुभाग 4 में विभिन्न श्रेणियां जैसे ऋण सीमा की मात्रा, ब्याज दर, संगठन का प्रकार, खाते का प्रकार, राज्य और जनसंख्या समूहवार, आदि के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। अनुभाग 5 में, इन्हीं आकड़ों का उधारकर्ता के व्यवसाय के अनुसार और ज्यादा वर्गीकरण किया गया है। जिलावार और व्यवसाय के अनुसार बकाया ऋण का वितरण भी अनुभाग 5 में दिया गया है।

7. मू.सां.वि.-1 क विवरणी उन जिला और जनसंख्या समूह की पहचान कराती है जहां ऋण उपयोग में लाया जाता है। तथापि ऐसी जानकारी मू.सां.वि.-1 ख विवरणी में संकलित नहीं की जा रही है; इन खातों के संबंध में यह मान लिया जाता है, कि उसी स्थानपर ऋणका उपयोग किया जाता है, जहाँसे उसे मंजूरी दी गयी हो। उल्लेखनीय है कि राज्य और जनसंख्या समूहवार ऋण संबंधी अनुभाग 4 और 5 में दिये गये आंकड़े उपयोग के स्थान पर आधारित हैं। जब कि अनुभाग 2 में ये ऋण मंजूर किये जाने के स्थान के आधार पर है। अनुभाग 1 में ऋण को जमाराशियों के साथ प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.3, 1.4 और 1.5) ऋण मंजूरी के स्थान के अनुसार है और अलग से प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.10 और 1.11) ये उपयोग के स्थान के आधार पर है। सारणी 1.6 से 1.8 में ऋण के आंकड़े मंजूरी तथा उपयोग दोनों की स्थानों के अनुसार दिये गये हैं ताकि तुलना करने में सुविधा हो। ऋणके सारणियों की सूची, ऋणकी मंजूरी तथा उपयोग में लायी जगह के अनुसार, 'सारणियों पर टिप्पणियां' में प्रस्तुत हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

8. उक्त खंड के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत कुछ सारणियों के संबंध में विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां नीचे प्रस्तुत हैं।

इस खण्ड के अनुभाग 1 की सारणी 1.1 में सारणियों पर टिप्पणियां में दिये गये ब्यौरे के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से संकलित आंकड़ों के आधार पर वाणिज्य बैंकिंग की प्रगति एक नजर में प्रस्तुत की गयी है। सारणी 1.9 में विस्तृत रूप में व्यवसाय के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। सारणियां 1.13, 1.14 और 1.15 में अनुसूचित वाणिज्य बैंको की बकाया राशियों का क्रमशः उनके ब्याजदर, खाते का प्रकार और संगठन के अनुसार रु. 2 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले खातों संबंधित वर्गीकरण दिया है। सारणी 1.16 में, लघुउधार खातों का उनके ऋणकर्ताओं की व्यापक श्रेणीयों के अनुसार और लिंगवार प्रतिशत वर्गवार दिया गया है। सारणी 1.17 में रु 2 लाख और उनसे कम छोटे उधारकर्ताओं का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण दिया गया है। सारणियां 1.21 से 1.23 तक क्रमशः वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार दी गयी है। सारणियां 1.24 से 1.26 तक क्रमशः मूलतः व्यापक स्वामित्व श्रेणी, जनसंख्या समूह, बैंक समूह और राज्य के अनुसार मीयादी जमाराशियों की मूल परिपक्वता रचना प्रस्तुत करती हैं। उर्वरित परिपक्वता की अवधि के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मियादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण सारणी सं. 1.27 में प्रस्तुत किया है। सारणी 1.28 में मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण ब्याज दरों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। सारणी 1.29 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का उनके आकार के अनुसार प्रतिशत वर्गीकरण दिया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकोंकी मीयादी जमाराशियों के (मूल) परिपक्वता का स्वरुप, जनसंख्या समूह तथा राज्य के साथ, स्थूल स्वामित्व के अनुसार, सारणी सं. 3.4 व 3.5 में दिया है। अनुभाग 4 में सारणियां 4.1 से 4.6 तक और अनुभाग 5 में सारणियां 5.1 से 5.3 तक जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा रु. 2 लाख से ज्यादा है ऐसी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का संक्षिप्त वर्गीकरण दिया है। सारणी 5.8 के अंतर्गत जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा रु. 2 लाख और उससे कम है ऐसे लघु उधारकर्ताओं के खातों की जानकारी दी है।

9. इस खण्ड में प्रस्तुत बैंक युक्त केंद्रों के जनसंख्या समूह, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर है। इसलिए, इस खंड के सारणियों में प्रस्तुत किये गये जनसंख्या समूहवार आंकड़े पूर्व प्रकाशित खंड़ों के आंकडों के साथ तुलनीय नहीं हैं। जनसंख्या समूह निम्नानुसार परिभाषित हैंः

(i) ग्रामीण समूह में 10,000 तक की जनसंख्या वाले सभी केंद्र शामिल हैं।

(ii) अर्ध-शहरी समूह में 10,000 से अधिक और 1 लाख से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iii) शहरी समूह में 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iv) महानगरीय समूह में 10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

10. बैंको के निम्नानुसार समूह बनाये गये हैं

(i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक

(iii) विदेशी बैंक

(iv) क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक

(v) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक

11. बैंक समूह, 'राष्ट्रीयकृत बैंक' में आइडीबीआइ लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं।

12. इस खंड की विभिन्न सारणियों में दी गयी जानकारी पर आधारित ऋण और जमाराशियों से संबंधित अनुसूचित

वाणिज्य बैंकों की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को मुख्य बातों में सम्मिलित किया गया है।

13. आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण सारणियों के जोड़ के आंकड़ों का घटक मदों के जोड़ से मेल नहीं खाता। लाख इकाई 1,00,000 के समकक्ष हैं। इस खण्ड में सर्वत्र '-' चिन्ह शून्य अथवा नगण्य दर्शाता है। कोष्ठकों (सारणी 1.2 को छोड़कर) में दिये गये आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत दर्शाते है। खण्ड के अंत में प्रत्येक सारणियों पर उपयुक्त टिप्पणियां दी गयी हैं।

14. यह खण्ड सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग ने तैयार किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-8/9,
पो.बा.सं. 8128,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

दिनांक : 29 मई, 2009